

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा छत्तीसगढ़
क./2081/भू.अ./स.अ.भू.अ./2014

कोरबा दिनांक 17.9.2014

प्रति,

महाप्रबंधक
पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
कोरबा

विषय :- 765 के.व्ही.द्वितीय दवी परिपथ झारसुगड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन प्रस्ताव के पंजीयन हेतु मार्ग में आने वाले राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ।

संदर्भ:- आपका पत्र क0/प.क्षे.-1/कोरबा/टी.एल.सी./झा.-को/(2)प्रशा./3184 दिनांक 1.7.2014

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । महा प्रबंधक पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड अन्तर राज्य अंतर क्षेत्रीय क्षमता के वर्धन हेतु अति उच्च दाब 765 के.व्ही.द्वितीय दवी परिपथ झारसुगड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन प्रस्ताव के पंजीयन हेतु मार्ग में आने वाले राजस्व वन भूमि (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) तहसील करतला अन्तर्गत ग्राम गनियारी,औराई, केरवाद्वारी, केराकछार,रामपुर,बरकोन्हा,पतरापाली कुल रकबा 265.642 हेक्टर में से 16.330 हे0 भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत निवेदन किया गया है ।

वन मंडलाधिकारी कोरबा एवं अनुविभागीय अधिकारी रा0 से प्रतिवेदन प्राप्त । प्रतिवेदन अनुसार संचरण लाईन निम्न लिखित ग्रामों से गुजरेगी :-

क.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	रा.नि.मं.	खसरा नं.	कुल रकबा	आवेदित रकबा	विद्युत लाईन की लम्बाई	मद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	औराई	23	--	536/1	123.837	0.737	110मी.	बड़े झाड़ का जंगल
2	केरवाद्वारी	24		634/1	4.756	1.407	210मी.	--
	--	24		561/1	40.136	4.288	640मी.	--
	--	24		621/1क	6.063	0.080	12 मी.	--
	--	24		251	11.076	0.107	16 मी.	--
3	केराकछार	24		622/1	4.318	0.911	136मी.	--
	--	24		629/2				
	--	24		630/1				
	--	24		630/2				--
4	रामपुर	31		14	17.860	2.438	364मी.	--
		31		125/1	0.849	0.562	84 मी.	--
5	बरकोन्हा	31		342	46.182	2.398	358मी.	बड़े झाड़ का जंगल
		31		374/1	0.405	0.308	46 मी.	--
								--

17/9/14
कोरबा (छत्तीसगढ़)

6	पतरापाली	31	204/2,204/5 204/6,204/8 204/9,204/11	3,873	1,306	195मी.	—
	कुल योग			265.642	14.550	2170मी.	

अतः प्रतिवेदन अनुसार राजस्व वन भूमि (बड़े झाड़ का जंगल) पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

- 1 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर (बड़े झाड़ का जंगल कुल रकबा 14.550 हे0) 765 के.व्ही.द्वितीय 'द्वी' परिपथ झारसुगड़ा से कोरबा (धरमजयगढ़) तक विद्युत लाईन के निर्माण हेतु दी जा रही है । इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जा सकेगा ।
- 2 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावित होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा ।
- 3 उक्त पारेषण लाईन के निर्माण से किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदार आवेदक संस्थान की होगी ।
- 4 इस अनुमती के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है ।
- 5 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय / विभाग से लिया जाना होगा ।

Shiva 17/9/14
(रीना बाबा साहेब कंगाले)
कलेक्टर,
कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ0क./2082/भू.अ./स.अ.भू.अ./2014

कोरबा दिनांक 17.9.2014

प्रतिलिपि :- 1 वन मंडलाधिकारी कोरबा की ओर पत्र क्र.5679 दिनांक 26.8.14 के संबंध में सूचनार्थ ।

- 2 अनुविभागीय अधिकारी रा0 कोरबा की ओर सूचनार्थ ।
- 3 तहसीलदार करतला की ओर सूचनार्थ ।

Shiva 17/9/14
(रीना बाबा साहेब कंगाले)
कलेक्टर,
कोरबा (छत्तीसगढ़)